संख्या-75/2019/2033 ई-2/तेरह-2019-128/2017

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

विषय:- होटल हॉलीडे इन(ए यूनिट ऑफ होटल मरीना), 16/2/8, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, संजय प्लेस आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-1145/आब0सहा0/2019-20, दिनांक 18-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 26-08-2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-125/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल हॉलीडे इन/आगरा, दिनांक 01-10-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत होटल हॉलीडे इन(ए यूनिट ऑफ होटल मरीना), 16/2/8, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, संजय प्लेस आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-75/2019/2033 (1) ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-125/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल हॉलीडे इन/आगरा, दिनांक 01-10-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।